पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 104/2022

अनवान : –

1. विजेन्द्र चौधरी डिढ़ारिया पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
3. भगवंती देवी पत्नी रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
4. राजकुमार पुत्र रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
5. यूरेश पुत्र रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा। प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर पूनिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 98/92 के मु0न0 57 के किला न0 23 ता 25, मु0न0 58 के किला न0 18, 21 ता 23 मु0न0 61 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0न0 62 के किला न0 3 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2 की कुल 6.072है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 1 **रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 विजेन्द्र चौधरी डिढ़ारिया को 1/3 हिस्सा वादी सं0 2 सुभाषचन्द्र को 1/3 हिस्सा तथा वादी सं0 3 भगवंती पत्नी रामप्रताप वादी सं0 4 राजकुमार पुत्र रामप्रताप वादी सं0 5 यूरेश पुत्र रामप्रताप को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/6/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 —104 / 2022

अनवान : —

1. विजेन्द्र चौधरी डिढ़ारिया पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
3. भगवंती देवी पत्नी रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
4. राजकुमार पुत्र रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।
5. यूरेश पुत्र रामप्रताप पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपरा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री किशनलाल यादव वादीगण
श्री सतवीर पूनिया प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 17/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 98 / 92 के मु0न0 57 के किला न0 23 ता 25, मु0न0 58 के किला न0 18, 21 ता 23 मु0न0 61 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0न0 62 के किला न0 3 ता 4, 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 7, 8, 13, 14, 15 / 1, 15 / 2 की कुल 6.072है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादी हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योलाल की खातेदारी हुआ करती थी। श्योलाल के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने महज कर्ता खानदान के कारण अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी वादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपंसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में सुभाषचन्द्र पुत्र रामजीलाल के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी चक 17 एएमएस खाता सं0 98 / 92 प्रदर्श 1 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 करवायें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 98/92 के मु0न0 57 के किला न0 23 ता 25, मु0न0 58 के किला न0 18, 21 ता 23 मु0न0 61 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0न0 62 के किला न0 3 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2 की कुल 6.072है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत जमाबंदीयों से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। रामजीलाल के वारिसान में उसके तीन पुत्र विजेन्द्र चौधरी, सुभाषचन्द्र व रामप्रताप है, जिसमें रामप्रताप की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान बतौर पक्षकार वादी सं0 3 ता 5 मौजूद है। प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि होना दावा में स्वीकार किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एएमएस के खाता सं0 98/92 के मु0न0 57 के किला न0 23 ता 25, मु0न0 58 के किला न0 18, 21 ता 23 मु0न0 61 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0न0 62 के किला न0 3 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2 की कुल 6.072है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है **उसमें प्रतिवादी सं0 1 रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 विजेन्द्र चौधरी डिढ़ारिया को 1/3 हिस्सा वादी सं0 2 सुभाषचन्द्र को 1/3 हिस्सा** तथा वादी सं0 3 भगवंती पत्नी रामप्रताप वादी सं0 4 राजकुमार पुत्र **रामप्रताप वादी सं0 5 यूरेश पुत्र रामप्रताप को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शंकुतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला हनुमानगढ़)